अत्यावश्यक
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः–पं.17(45)शिक्षा–6/2012 जयपुर, दिनांकः– 5/3/14

1. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राज0, बीकानेर ।
2. निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राज0, बीकानेर ।
3. निदेशक,
संस्कृत शिक्षा,
राज0, जयपुर ।

विषयः–शिक्षण संस्थाओं में तम्बाकू नियन्त्रण के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री, राजस्थान, जयपुर की अशा0 टीप क्रमांक–वि.स./मं.शि./2014/515 दिनांक 10.02.2014 की प्रति मय संलग्नक प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख हैं कि प्रकरण में नशा मुक्ति के संबंध में वर्णित 06 बिन्दुओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर, माननीय मंत्री महोदय एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का श्रम करावें ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
sd/-
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री, राजस्थान, जयपुर को उनकी उक्त सन्दर्भित अशा0 टीप के क्रम में ।
2. श्री विक्रम सिंह राघव, राज्य परियोजना निदेशक, आरवीएचए, बजाज नगर, जयपुर ।

उप शासन सचिव

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :शिविरा/माध्य/मा–स/22426/तम्बाकू नियंत्रण/2013–14/ दिनांकः 30/9/14

:आदेश:

केन्द्रीय धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम (कोटपा)– 2003 की पालना बाबत राज्य सरकार के पत्रांकः प.16 (15) शिक्षा–6/2008, पार्ट–III , दिनांकः 25.4.12 के कम में इस कार्यालय द्वारा समस्त राजकीय/गैर राजकीय उमावि/मावि (बालिका विद्यालयों सहित) में उक्त अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किए जाने बाबत प्रतिमाह प्रगति सूचना की मोनेटरिंग हेतु अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन) को निदेशालय स्तर पर नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। उक्त अधिनियम के विभिन्न बिन्दुओं की पालना शिक्षण संस्थाओं में सुनिश्चित किए जाने हेतु समस्त 9 मंडल कार्यालयों में कार्यरत सहायक निदेशक को मण्डल स्तर पर तथा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) को जिला स्तर पर नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिले/मंडल की प्रत्येक राजकीय/गैर सरकारी उमावि/मावि में 'कोटपा–2003' के प्रावधानों के अनुरूप की गई कार्यवाही की प्रगति सूचना इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकः 26.6.14 तथा 8.7.14 में प्रदत्त प्रारूप में इस कार्यालय को प्रतिमाह भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(ओंकार सिंह)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)
3. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), कार्यालय हाजा।
4. स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, निजी अनुभाग।
5. एडवोकेसी ऑफिसर, ए–12, महावीर उद्यान पथ, बजाज नगर, जयपुर।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Mr. P.C. Mahaval
Addl. Director
Nodal Officer

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा/स/22426/2010–11 दिनांक: 26/5/14

1. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग

विषय :– केन्द्रीय धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम–2003 के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षण संस्थाओं में की गई कार्यवाही की प्रगति की रिपोर्ट भेजने बाबत।

प्रसंग :– समसंख्यक पत्र दिनांक: 08.02.13, 16.07.13, 06.12.13 एवं 03.01.14

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा आपको इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रों के सन्दर्भ में केन्द्रीय धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम–2003 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही बाबत प्रगति रिपोर्ट अधीनस्थ जिलो से संकलित कर निर्धारित प्रारूप में मण्डल की समेकित सूचना प्रतिमाह 5 तारीख तक भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। खेद की बात है कि उक्त निर्देशों की पालना आप द्वारा नहीं की जा रही है, जिसके कारण शासन को संबंधित सूचनाएं भिजवाई जानी संभव नहीं हो पा रही है।

उक्त क्रम में इस पत्र द्वारा आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ समस्त जिलो की सूचना समेकित कर निर्धारित प्रपत्र में माह मई–2013 से जून 2014 तक की समेकित प्रगति रिपोर्ट आगामी सात दिवस में इस कार्यालय के E-MAIL ADDRESS: secondarydd @gmail.com पर MS EXCEL FONT DEVLYS 010 में MAIL करवाते हुए हार्ड तथा सॉफ्ट कॉपी इस कार्यालय के माध्यमिक अनुभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पन्न करावें।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :– 1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम व द्वितीय) को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वो अपने जिले की सूचना पत्र प्राप्ति के दिन ही निदेशालय को प्रेषित करावें।

2. एडवोकेसी ऑफीसर, ए–12 महावीर उद्यानपथ बजाज नगर जयपुर को सूचनार्थ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

F:Desktop/vipin/Mahesji/new micro

स्मरण पत्र–चतुर्थ

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/धूम्रपान/रैगिंग/2001/242 दिनांकः 20 नवम्बर, 2014

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 की अनुपालना एवं तम्बाकू मुक्त महाविद्यालय गाईड लाईन के क्रियान्वन के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आयुक्तालय के समसंख्यक पत्रांकः 51 दिनांकः 27.03.2014, 78 दिनांक 28.05.2014, 105 दिनांक 26.06.2014 एवं 121 दिनांक 10.07.2014 के द्वारा सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 की अनुपालना एवं तम्बाकू मुक्त महाविद्यालय गाईड लाईन के क्रियान्वयन के संदर्भ में संलग्न प्रमाण पत्र पूर्ण कर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को दिनांक 18.07.2014 तक आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु लिखा गया था। उक्त प्रमाण पत्र अधिकांश महाविद्यालयों से आज दिनांक तक भी अपेक्षित है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों द्वारा उक्त प्रमाण पत्र नहीं भिजवाया गया है वे महाविद्यालय तत्काल फैक्स नम्बर– 2706550/ 2702247 या प्रमाण पत्र की स्केन प्रति ई–मेल **jdacad.cce@rajasthan.gov.in** पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें, जिससे संकलित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जा सके।

उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 01.12.2014 तक प्राप्त न होने पर आपके विरूद्व नियमानुसार आदेशों की अवहेलना करने के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

भवदीय,

(डॉ. अनूप श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक(अकादमी)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/धूम्रपान/रैगिंग/2001/242 दिनांकः 20 नवम्बर, 2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके क्षेत्राधिकार के राजकीय महाविद्यालयों से उक्त प्रमाण–पत्र संकलित कर आयुक्तालय को दिनांक 01.12.2014 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

2 वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया उक्त पत्र को आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड़ करने का श्रम करें।

(डॉ. अनूप श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक(अकादमी)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/धूम्रपान/2001/51/ दिनांकः 27 मार्च, 2014

समस्त प्राचार्य,
राजकीय/अराजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 की अनुपालना एवं तम्बाकू मुक्त महाविद्यालय गाईड लाईन के क्रियान्वन के संदर्भ में।
प्रसंगः राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान वोल्यन्टरी हैल्थ एसोसियेशन, जयपुर के पत्रांकः 432 दिनांकः 08.02.2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 की अनुपालना एवं तम्बाकू अधिनियम–2003 की धारा 04 व 06 की अनुपालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महाविद्यालयों व शिक्षण संस्थाओं के लिए तम्बाकू मुक्त बनाये जाने के लिए गाईड लाईन जारी की है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैः–

1. सभी महाविद्यालय भवन के बाहर मुख्य द्वार के पास एक बोर्ड लगाया जाये जिस पर तम्बाकू मुक्त महाविद्यालय प्रमुखता से अंकित किया जावे तथा कानून की धारा 4 एवं 6ब के अनुसार वैधानिक चेतावनियां अंकित की जावें ।
2. महाविद्यालय के 100 गज के दायरे में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जाने की सूचना महाविद्यालय के मुख्य द्वार के पास बोर्ड पर अंकित की जायेगी ।
3. महाविद्यालय के सभी प्रमुख स्थानों पर धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है, के बोर्ड प्रदर्शित किये जावे।
4. महाविद्यालय में शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी एवं आगन्तुक कोई भी तम्बाकू उत्पाद का उपयोग नहीं करेंगें।
5. महाविद्यालय में एक तम्बाकू नियन्त्रण कमेटी का गठन किया जावे जिसमें शिक्षक, छात्र व स्थानीय पुलिस थाना प्रतिनिधि आदि शामिल हो ।
6. महाविद्यालय में तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम प्रमुखता से आयोजित किये जायें, महाविद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम तम्बाकू नियन्त्रण पर केन्द्रित हो और तम्बाकू नियन्त्रण से संबंधित पोस्टर्स व अन्य आईईसी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाये।
7. संलग्न फार्मेट में महाविद्यालय को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित करते हुए यह अंकित करें कि महाविद्यालय द्वारा कानून की धारा 4 एवं 6(ब) के अन्तर्गत कार्यवाही कर ली गई है।

समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं की कड़ाई से पालना करते हुए संलग्न फार्मेट में सूचना पूर्ण कर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करें, जिससे संकलित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जा सके। साथ ही समस्त महाविद्यालय 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाते हुए तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान की औपचारिक घोषणा सुनिश्चित करें ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(बी.एल.कन्दोई)
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/धूम्रपान/2001/51/ दिनांकः 27 मार्च, 2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान वोल्यन्टरी हैल्थ एसोसियेशन (आरवीएचए), ए–12बी, महावीर उद्यान पथ, बजाज नगर, जयपुर को उनके पत्रांकः 432 दिनांकः 08.02.2014 के संदर्भ में।
2. बेवसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर को बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

(डॉ. रणजीत सिंह)
संयुक्त निदेशक(अकादमी)

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, ज.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎: 0141–2704357 फैक्स 0141–2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमांक: [illegible]/प्रा.शि./पी.3पी/ 18022 – 68 दिनांक: 25-6-2014

प्राचार्य, आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय
संभागीय शिक्षा अधिकारी,

विषयः– राजस्थान राज्य के स्कूल व कॉलेजों में तम्बाकू एवं मादक पदार्थों का सेवन बंद करवाने के संबंध में

प्रसंगः–कार्यालय मंत्री प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक,संस्कृत,तकनीकी,शिक्षा एवं भाषा विभाग के पत्रांक निस/मशि/संकुल/2014/795 दिनांक 18-6-2014

प्रसंगोक्त विषय में लेख है कि विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों में विभाग के स्कूल व कॉलेजों में तम्बाकू एवं मादक पदार्थों का सेवन बंद करवाने के संबंध में दिये गये निर्देशों की पालना हेतु लिखा गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

सभी महाविद्यालयों/विद्यालयों के बाहर मुख्य द्वार के पास एक बोर्ड लगाया जाये जिस पर तम्बाकू मुक्त विद्यालय/महाविद्यालय प्रमुखता से प्रकाशित किया जाये।

महाविद्यालय/विद्यालयों की संस्थाओं के 100 गज के दायरे में बीड़ी,सिगरेट आदि तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है । इसका उल्लंघन किये जाने पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता हैं। विद्यालय के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जाने की सूचना विद्यालय के मुख्य द्वार के पास बोर्ड पर अंकित की जायेगी ।

विद्यालय/महाविद्यालय की संस्थाओं में सभी प्रमुख स्थानों पर धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है के बोर्ड प्रदर्शित किये जावे ।

विद्यालय/महाविद्यालयों संस्थाओं में शिक्षक,छात्र या आगन्तुक कोई भी तम्बाकू उत्पाद का उपयोग नही करेंगे।

विद्यालय/महाविद्यालय संस्थाओं में एक तम्बाकू नियंत्रण कमेटी का गठन किया जाकर जिसमें शिक्षक,छात्र,अभिभावक स्थानीय पुलिस थाना प्रतिनिधि आदि शामिल हो।

विद्यालय/महाविद्यालयों की संस्थाओं में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम प्रमुखता से आयोजित किये जावे,शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम तम्बाकू नियंत्रण पर केन्द्रित हो और तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित पोस्टर्स व अन्य आईईसी प्रमुखता से प्रदर्शित की जावे।

अतः उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे तथा अधीनस्थ संस्थाओं को इससे अवगत कराते हुये संलग्न प्रपत्र में पालना रिपोर्ट दिनांक 15-07-2014 तक निदेशालय को भिजवावें।

संलग्न उपरोक्त ।

(डॉ.मण्डन शर्मा)
निदेशक,
संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,
जयपुर ।

प्रतिलिपि –

1:–विशिष्ठ सहायक, कार्यालय मंत्री प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक,संस्कृत, तकनीकी, शिक्षा एवं भाषा विभाग,जयपुर

2–स्टेट एडवोकेसी आफिसर,आरवीएचए,ए-1-2बी,महावीर उद्यान पथ,बजाज नगर जयपुर

निदेशक,
संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,
जयपुर ।

२३१

राजस्थान-सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,जयपुर

क्रमांक:निसंशि/शैक्ष-2/पं0 107/ 8988-95   दिनांक: 20/3/2014

संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी,
संभाग-जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/
बीकानेर (चूरू)/अजमेर/भरतपुर।

विषय:- शिक्षण संस्थाओं में तम्बाकू नियन्त्रण के संबंध में।
प्रसंग:- उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग के पत्रांक पं0 17 (45) शिक्षा-6/2012 जयपुर दिनांक 05.03.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसंगोक्त पत्रों की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि आप अपने संभागाधीन संस्थाओं में दिये गये निर्देशानुसार शिक्षण संस्थाओं में तम्बाकू नियन्त्रण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करावें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(डॉ0 मण्डन शर्मा)
निदेशक
संस्कृत शिक्षा,राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपि:- उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को उनके पत्रांक पं0 17 (45) शिक्षा-6/2012 जयपुर दिनांक 05.03.2014 की पालना में सूचनार्थ प्रेषित है।

निदेशक
संस्कृत शिक्षा,राजस्थान
जयपुर

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर स्मरण पत्र–तृतीय

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/धूम्रपान/रैगिंग/2001/ /८।
दिनांक: 10 जुलाई, 2014

समस्त प्राचार्य,
निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय: सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 की अनुपालना एवं तम्बाकू मुक्त महाविद्यालय गाईड लाईन के क्रियान्वयन के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आयुक्तालय के समसंख्यक पत्रांक: 51 दिनांक: 27.03.2014, 78 दिनांक 28.05.2014 व 105 दिनांक 26.06.2014 के द्वारा सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 की अनुपालना एवं तम्बाकू मुक्त महाविद्यालय गाईड लाईन के क्रियान्वयन के संदर्भ में संलग्न प्रमाण पत्र पूर्ण कर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करने हेतु लिखा गया था। उक्त प्रमाण पत्र अधिकांश महाविद्यालयों से आज दिनांक तक भी अपेक्षित हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों द्वारा उक्त प्रमाण पत्र नहीं भिजवाया गया है वे महाविद्यालय तत्काल फैक्स नम्बर– 2706550/ 2702247 या प्रमाण पत्र की स्केन प्रति ई–मेल **jdacad.cce.@rajasthan.gov.in** पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें, जिससे संकलित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जा सके।

उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 18.07.2014 तक प्राप्त न होने पर आपके महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

भवदीय,

(डॉ. अनूप श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक(अकादमी)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/धूम्रपान/रैगिंग/2001/ /८।
दिनांक: 10 जुलाई 2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके क्षेत्राधिकार के निजी महाविद्यालयों से उक्त प्रमाण–पत्र संकलित कर आयुक्तालय को दिनांक 18.07.2014 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया उक्त पत्र को आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

(डॉ. अनूप श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक(अकादमी)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

स्मरण पत्र–तृतीय

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/धूम्रपान/रैगिंग/2001/120 दिनांकः 10 जुलाई, 2014

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 की अनुपालना एवं तम्बाकू मुक्त महाविद्यालय गाईड लाईन के क्रियान्वन के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आयुक्तालय के समसंख्यक पत्रांकः 51 दिनांकः 27.03.2014, 78 दिनांक 20.05.2014 एवं 105 दिनांक 26.06.2014 के द्वारा सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 की अनुपालना एवं तम्बाकू मुक्त महाविद्यालय गाईड लाईन के क्रियान्वयन के संदर्भ में संलग्न प्रमाण पत्र पूर्ण कर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करने हेतु लिखा गया था। उक्त प्रमाण पत्र अधिकांश महाविद्यालयों से आज दिनांक तक भी अपेक्षित है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों द्वारा उक्त प्रमाण पत्र नहीं भिजवाया गया है वे महाविद्यालय तत्काल फैक्स नम्बर– 2706550/ 2702247 या प्रमाण पत्र की स्केन प्रति ई–मेल jdacad.cce@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें, जिससे संकलित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जा सके।

उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 18.07.2014 तक प्राप्त न होने पर आपके विरूद्व नियमानुसार आदेशों की अवहेलना करने के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

भवदीय,

(डॉ. अनूप श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक(अकादमी)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/धूम्रपान/रैगिंग/2001/120 दिनांकः 10 जुलाई, 2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके क्षेत्राधिकार के राजकीय महाविद्यालयों से उक्त प्रमाण–पत्र संकलित कर आयुक्तालय को दिनांक 18.07.2014 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया उक्त पत्र को आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड़ करने का श्रम करें।

(डॉ. अनूप श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक(अकादमी)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

ई–मेल

राजस्थान–सरकार
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांकः– एफ– 26(4) (सिगरेट तम्बाकू)प्राशिनि / सी–4 / 2010 / दिनांकः–

प्रधानाचार्य,
निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
समस्त।

विषयः– नशामुक्ति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्र क्रमांकः प.1(2) त0शि0 / 2009– II दिनांक 24.2.2014 के साथ प्राप्त श्री विक्रमसिंह राधव, राज्य परियोजना निदेशक, तथा श्री सूर्यप्रताप सिंह राजावत, स्टेट एडवोकेसी ऑफिसर राज. वोल्युन्ट्री हेल्थ एसोसियशन, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 432 दिनांक 08.02.2014 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि नशामुक्ति के सम्बन्ध में उक्त पत्र में वर्णित समस्त 06 बिन्दुओं की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उक्तानुसार की गयी कार्यवाही से **E-Mail kapil_shivang @ yahoo.com** पर सूचना भिजवाते हुए सम्बन्धित एवं इस कार्यालय को भी शीघ्र अवगत करावें।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर)

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

क्रमांकः– एफ– 26(4)(सिगरेट तम्बाकू) प्राशिनि / सी–4 / 2010 / 16595 दिनांकः– 30/10/14

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान वालंटरी हैल्थ एसोसियशन,बजाज नगर, जयपुर –302015 को आपसे दूरभाष पर हुई वार्ता दिनांक 08.10.2014 के क्रम में।
2. स्टेट एडवोकेसी ऑफिसर, राजस्थान वोल्युन्ट्री हेल्थ एसोसियशन, बजाज नगर, जयपुर–302015
3. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके प 1(2)त0शि0 / 2009 II दिनांक 24.3.14 के सन्दर्भ में।

(हस्ताक्षर)

संयुक्त निदेशक,प्राविधिक शिक्षा

66

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,राज.जोधपुर।

क्रमांक–एफ–26(4)/प्राशिनि/सी–4/ दिनांकः–

–::कार्यालय आदेश::–

राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान वालंटरी हेल्थ एसोशियन, जयपुर से दूरभाष पर हुई वार्तानुसार धूम्रपान निषेध हेतु विभाग स्तर पर श्री जी0 एन0 माथुर,वरिष्ठ प्रवक्ता,पदस्थापित सहायक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इनके दूरभाष नम्बर निम्नानुसार हैः–

1. कार्यालय – 0291 – 2433298
2. मोबाईल नं.– 94142 – 37279

सही
निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

क्रमांक–एफ–26(4)/प्राशिनि/सी–4/ 12750 दिनांकः– 26/8/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान वालंटरी हेल्थ एसोशियन,बजाज नगर, जयपुर पिन कोड – 302015 के दिनांक 14.08.2014 के दूरभाष के सन्दर्भ में।
2. श्री जी0 एन0 माथुर, वरिष्ठ प्रवक्ता, पदस्थापित सहायक निदेशक, निदेशालय जोधपुर को राजस्थान वालंटरी हेल्थ एसोशियन, जयपुर के पत्रांक 432 दिनांक 08.02.2014 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि इस सम्बन्ध में पालना सुनिश्चित की जावें।
3. कार्यालयाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

R. N. Agarwal (Jt. Director)